[**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ**]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 13/2017- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

सा.का.नि. ……... (अ)–केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,--

(i) संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन; और

(ii) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी,

इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट करती है :--

(क) संयुक्त राष्ट्र या कोई विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र या उस विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार किसी ऐसे प्रमाणपत्र के अध्यधीन होंगे कि माल और सेवाओं का उपयोग संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शासकीय उपयोग के लिए किया गया है या उपयोग किया जाना आशयित है ।

(ख) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या उसमें पद स्थापित कैरिय कौंसलीय अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने के निम्नलिखित के अध्यधीन हकदार होंगे,-

(i) कि भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र में यथा अनुध्यात यथा अनुबंधित एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए हकदार होंगे;

(ii) कि सेवाओं की पूर्ति की दशा में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद का प्रमुख या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसी मिशन या पद का कोई व्यक्ति उसके द्वारा या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक मूल वचनबंध यह कथन करते हुए देगा कि सेवा की पूर्ति उक्त विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद के शासकीय प्रयोजन के लिए या उक्त राजनयिक अभिकर्ता या कैरियर कौंसलीय अधिकारी या उसके कुटुंब के सदस्यों के व्यक्तगत उपयोग के लिए प्राप्त की गई है ;

(iii) कि माल की पूर्ति की दशा में संबंधित राजनयिक मिशन या कौंसल या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी यह प्रमाणपत्र पेश करेगा कि,-

(I) माल का उपयोग मिशन या कौंसल के लिए, यथास्थिति, रखा गया है या किया जा रहा है;

(II) माल की पूर्ति आगे नहीं की जाएगी या माल की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व माल का अन्यथा व्ययन कर दिया जाएगा; और

(III) खंड (I) की अननुपालना की दशा में राजनयिक या कौंसलीय मिशन उनको संदत्त रकम के प्रतिदाय का वापस संदाय करेगा ;

(iv) उस दशा में जब भारत में किसी भी विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा उसे तत्पश्चात् प्रत्याहरण करने का विनिश्चय किया जाता है तो उसे विदेशी राजनयिक मिशन कौंसलीय पद ऐसे प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण को संसूचित किया जाएगा ।

(v) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को शासकीय प्रयोजन के लिए या उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए या उनके कुटुंब के सदस्यों के उपयोग के लिए प्रदत्त एकीकृत कर का संपूर्ण प्रतिदाय ऐसे प्रमापत्र के प्रत्याहरण की तारीख से उपलभ्य नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अभिप्रेत है जिसे उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपबंध लागू होते हैं ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/1/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार